न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 58/2016 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. गिरवर सिंह पुत्र उमराव सिंह जाति बडवा राजपूत निवासी श्रीनगर बांदेन तहसील राजगढ जिला अलवर

..... अपीलांट

बनाम

1. मूली देवी पत्नी भौंरे लाल जाति माली निवासी श्रीनगर बांदेन तहसील राजगढ जिला अलवर राज0

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री टेकचन्द सैनी, रेस्पोडेण्ट।

::: निर्णय ::: **दिनांक :– 30.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ कैम्प कोर्ट अलेई के निर्णय दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में यह दावा पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 154/0.03 है0 वाके ग्राम श्रीनगर बांदेन तहसील राजगढ़ में स्थित है। इस आराजी की सीमाज्ञान बाबत वादनी/रेस्पोडेण्ट एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट के मध्य विवाद है। इसकी पैमाइश दिनांक 21.09.15 को करवाई गई। वादनी स्वयं की खातेदारी की रक्षार्थ पैमाईश दिनांक 21.09.15 के मुताबिक पत्थगढी करवाना चाहती है तथा प्रतिवादी का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहती है। वादनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा वादनी की खातेदारी आराजी हाल ख.नं. 154/0.03 है. पर पुनः पैमाइश कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किए। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 154 रकबा 0.03 ऐयर वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है जिसकी पैमाईश अपीलाण्ट की

गैर मौजूदगी में दिनांक 21.09.2015 को रेवेन्यू कर्मचारियों से मिलीभगत करने करवाई और उसके बाद धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेस्पोडेण्ट ने न्यायालय मातहत में कार्यवाही की जिसमें रेस्पोडेण्ट हाजिर अदालत तलबी होने पर उपस्थित हुआ और वास्ते जवाब पेश करने हेतु तारीख नियत कर दी गई मगर इसी दौरान कैम्प कोर्ट चालू हो गई जिसमें दिनांक 30.05.2016 को अपीलाण्ट को बिना किसी सूचना के व सूने बगैर बाला–बाला ने निर्णय पारित कर दिया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को निर्णय की जानकारी नहीं थी, क्योंकि निर्णय कैम्प कोर्ट में किया गया था जिसमें प्रार्थी को ना तो सूचित किया गया ना ही प्रार्थी उपस्थित था। प्रार्थी की गैरहाजरी में यह निर्णय किया गया है। प्रार्थी को जानकारी होने पर नकल प्राप्त की व नकल मिलने पर अपने वकील से सलाह मशविरा कर दिनांक 30.05.2016 से आज तक का जो समय लगा है उसे न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के खण्डन में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में देरी का कोई दिनप्रतिदिन कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी मुख्य बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि गलत निर्णय की आड में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की खुली अवहेलना हुई और अपीलाण्ट के साथ न्याय नहीं हुआ है जबकि कानूनन जब पत्रावली वास्ते जवाब लगी हुई थी तो अपीलाण्ट का जवाब लेकर व अपीलाण्ट को सुनकर मातहत अदालत को निर्णय करना चाहिए था ऐसा ना कर तहत अदालत ने कानूनी भूल की है और रेस्पोडेण्ट से साज–बाज होकर गलत निर्णय किया है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट की आराजी में अपनी आराजी दबी हुई होना जाहिर करते हुये रेस्पोडेण्ट को बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते है तथा उपरोक्त आराजी में स्थित आम के वृक्ष को अपना बताते हुए रेस्पोडेण्ट के विरूद्व तहत अदालत में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.06.2015 को स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट अलेई में अपना निर्णय पारित किया गया जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा पक्षकारों के मध्य डोल का विवाद मानते हुए तहसीलदार साहब राजगढ को पक्षकारान की आराजी का सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिस पर तहसीलदार साहब राजगढ द्वारा अपने आदेश क्रमांक राजस्व/15/1186 दिनांक 17.07.2015 के द्वारा उपरोक्त आराजी की पैमाईश किये जाने के

आदेश आई.एल.आर एवं पटवारी हल्का अलेई को पारित कर दिये जिस पर आई.एल.आर. एवं श्रीमान पटवारी हल्का मौके पर पहुँच कर जरीब चला कर खसरा नम्बर 154 रकबा 0.03 हैक्टर की पैमाईश की गई। अपीलाण्ट का रेस्पोडेण्ट की उपरोक्त आराजी से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन अपीलाण्ट झगडालू किस्म का प्रभावशाली वो मुढमर्द व्यक्ति है जो बराये बदयान्ती बेईमानी पूर्ण आशय रखते हुये रेस्पोडेण्ट की उक्त आराजी में आम के वृक्ष को अपना बताकर उस पर कब्जा करना चाहता है। अतः अपीलांट द्वारा उक्त अपील गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। अतः उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2016 का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर विवेचन करना आवश्यक है। अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 वाके श्रीनगर पटवारी हल्का अलेई के खसरा नम्बर 154/0.03 है0 की खातेदार मूली देवी पत्नि भौंरेलाल सैनी है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थिनी की आराजी के पत्थरगढ़ी करवाने बाबत न्यायालय को यह देखना होता है क्या प्रार्थी विवादित आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार है? जमाबन्दी से स्पष्ट है कि प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलाण्ट को कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वह रेस्पोडेण्ट/प्रार्थिनी को पत्थरगढ़ी करवाने से रोके। मौका रिपोर्ट 21.09.2015 का भी अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य स्थाई विवाद के निपटारे हेतु रेस्पोडेण्ट/वादिनी को अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने का अधिकार है और यह प्रार्थनापत्र है कि न कि वादपत्र। तहत अदालत द्वारा सही आदेश पारित किया गया है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का आदेश दिनांक 30.05.2016 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/3/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर